	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 07, शुक्रवार, *शाके* 1945-सितम्बर 29, 2023 *Asvina 07, Friday , Saka 1945- September 29, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द

अधिसूचना

राजसमन्द, अगस्त 16, 2023

संख्या संख्या प.12/17( )राजस्व/भू.अ./2018 :-केन्द्रीय संरक्षित स्मारक कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु ग्राम किला कुम्भलगढ़ के 25 खसरा नम्बरों में निहित 11 बीघा 05 बिस्वा भू-अवाप्ति के लिए भारत सरकार, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल के अनुरोध पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंध 11 के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना संख्या प. 12/17 ( )राजस्व/भू.अ./2018 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 16.08.22 को हुआ था।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा 19(1) के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख (दिनांक 16.08.22) से बारह मास की अवधि के भीतर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन घोषणा और सार को विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जाना आवश्यक है, जिसका नियमानुसार प्रकाशन उक्त तिथि तक नहीं किया जा सका। धारा 19(7) के अधीन यह उल्लेखित है कि जहाँ 19(1) के अधीन कोई घोषणा प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर नहीं की जाती है, वहां उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विखंडित कर दी गई है, परन्तु धारा 19(7) में यह भी प्रावधानित है कि समुचित सरकार को बारह मास की अवधि को बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विधमान है, जो उसे न्यायोचित ठहरती है।

चूँकि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि वन्यजीव अभ्यारण कुम्भलगढ़ की सीमा में आती है तथा पार्किंग एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु अधिग्रहण की स्वीकृति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल, नई दिल्ली से वन्यजीव स्वीकृति प्राप्त करने के विषय में आपेक्षक निकाय भारत सरकार, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल द्वारा अभी कार्यवाही की जा रही है, अतः धारा 19(1) के आधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका।

एतद् द्वारा संदर्भित अधिनियम की धारा 19(7) के प्रावधानानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन घोषणा और सार को विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किए जाने की समयावधि उपरोक्त वर्णित कारणों से दिनांक 16.08.24 तक के लिए बढ़ाई जाती है।

नीलाभ सक्सेना,
जिला कलक्टर,
राजसमन्द।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।